मौन वीटोः
न्यायपालिका-कार्यपालिका संबंध

द हिन्दू

पेपर-II
(भारतीय राजव्यवस्था)

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की नियुक्ति की अपनी सिफारिश को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केन्द्र सरकार को अपनी मर्जी चलाने दी है।

केन्द्र सरकार ने आठ महीने तक कॉलेजियम के फैसले को अमली जामा नहीं पहनाया। इससे कोई सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि केन्द्र जानबूझकर इस स्थानांतरण को रोकने की नीयत से कॉलेजियम की सिफारिश पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है।

कॉलेजियम ने अब मद्रास हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति मुरलीधर की जगह बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.वी.गंगापुरवाला का नाम प्रस्तावित करने का फैसला किया है। मद्रास हाईकोर्ट में एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की कॉलेजियम की दिलचस्पी के पीछे की वजह यह है कि वहाँ वरिष्ठतम न्यायाधीश लगभग आठ महीने से मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा संभाल रहे हैं।

सितंबर 2022 में यह फैसला लिया गया था कि मद्रास हाईकोर्ट के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी की जगह लेने के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधर को उड़ीसा हाईकोर्ट से वहाँ भेजा जाएगा। इस बीच, चेन्नई में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. राजा मुख्य न्यायाधीश का जिम्मा संभाल रहे थे।

लेकिन नवंबर 2022 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। स्थानांतरण पर पुनर्विचार करने के न्यायमूर्ति राजा के अनुरोध को कॉलेजियम द्वारा खारिज कर दिया गया। हालांकि, केंद्र ने उनके स्थानांतरण को भी अधिसूचित नहीं किया। लिहाजा, मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर असामान्य रूप से लंबी अवधि तक उनकी निरंतरता बनी रही।

वह 24 मई, 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पूरे हालात के प्रति अपनी नाखुशी को रेखांकित करने के लिए, कॉलेजियम के प्रस्ताव ने यह दोहराया कि न्यायमूर्ति राजा का स्थानांतरण "जल्द से जल्द" किया जाए और कहा कि न्यायाधीश के रूप में उनका बने रहना भी न्यायमूर्ति गंगापुरवाला की नियुक्ति में बाधक नहीं होगी।

हाल के ऐसे कई उदाहरण सामने हैं जब सरकार ने संभावित रूप से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को पीठ में उनकी प्रोन्नति को रोकने की नीयत से उजागर किया है।

हालांकि, ज्यादातर मामलों में, नियुक्ति को रोकने के लिए निष्क्रियता को मुख्य साधन बनाया गया है। ऐसे में, एक सवाल यह उठता है कि क्या केंद्र की ओर से जानबूझकर बरती गई इस किस्म की निष्क्रियता को परिपाटी बनने दिया जाएगा। बेशक, पिछला कदम केन्द्र को कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित किसी भी नियुक्ति या स्थानांतरण को वीटो करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

कॉलेजियम प्रणाली में तमाम खामियों के बावजूद, वर्तमान हालात न्यायपालिका की आजादी के लिहाज से कतई अनुकूल नहीं हैं। यह प्रणाली न्यायिक प्रधानता के आधार पर स्थापित की गई है, लेकिन अब ऐसा जान पड़ता है कि महज कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने से इनकार करके कार्यपालिका ने इसे दरकिनार करने का एक रास्ता खोज लिया है। दरअसल, वर्तमान सरकार ने किसी नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम द्वारा अपना रुख दोहराए जाने की स्थिति में उन सिफारिशों के सरकार के लिए बाध्यकारी होने की कानूनी स्थिति को बदल दिया है।

भारत में न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिये वर्तमान प्रक्रिया:

- संविधान के अनुच्छेद 222 में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- जैसा कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में शामिल बिंदुओं में से एक यह था कि मुख्य न्यायाधीश की राय का अर्थ अधिकतम न्यायाधीशों की बहुलता के विचारों से होना चाहिये। इसी से 'न्यायाधीशों के कॉलेजियम' की अवधारणा अस्तित्व में आई। कॉलेजियम व्यवस्था में, मुख्य न्यायाधीश सहित किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाना चाहिए, 'जिसकी राय इस संबंध में निर्धारक है'। इसके लिए न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में बेहतर न्यायिक प्रशासन को बढ़ावा देने के लिये सभी स्थानांतरण जनहित में किये जाते हैं।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय लेनी चाहिए जहाँ स्थानांतरण किया जाना है। इसके अतिरिक्त, मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के एक या अधिक न्यायाधीशों, जो अपने विचार प्रस्तुत करने की स्थिति में हैं, के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- "एक मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के एक या एक से अधिक प्रबुद्ध न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। "सभी न्यायाधीशों के विचार लिखित रूप में व्यक्त होने चाहिये तथा इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इन पाँच न्यायाधीशों से मिलकर ही कॉलेजियम का गठन होता है। इनकी सिफारिशें केन्द्रीय कानून मंत्री को भेजी जाती हैं, जो इन्हें प्रधानमंत्री को सौंपता है। तत्पश्चात् पी.एम. राष्ट्रपति को स्थानांतरण के संबंध में मंजूरी प्रदान करने की सलाह देता है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान के अनुच्छेद 222 में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
2. द्वितीय न्यायाधीश मामले में यह स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में कोलेजियम का परामर्श लिया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1और 2 दोनों (d) न तो 1 न तो 2

Que. With reference to the transfer of a High Court Judge, consider the following statements:

1. Provisions have been made in Article 222 of the Constitution regarding the transfer of High Court judges including the Chief Justice.
2. In the Second Judges case, it was clarified that the collegium would be consulted in the transfer of High Court judges.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 Only (b) 2 Only

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : 'वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका और कार्यपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर मतभेद की स्थिति बनी हुई है जो कि बड़े संवैधानिक संकट के रूप में परिणत हो सकती है।' आपके अनुसार इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? सोदाहरण चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- ❖ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की वर्तमान प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
- ❖ कार्यपालिका द्वारा क्या अवरोध पैदा किया जा रहा है और क्यों?
- ❖ इससे क्या संवैधानिक संकट आ सकता है, उसकी चर्चा करें।
- ❖ अपने समाधान की चर्चा करें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।